

:: आज्ञा ::

-----

विषय :- जन्म-मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी कार्य की देखरेख हेतु समिति

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 17.7.89 द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन सम्बन्धी कार्य की देखरेख करने तथा समय-समय पर तद्विषयक सुझाव देने के लिए गठित अन्तर्विभागीय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन किए जाने की महामहिम राज्यपाल महोदयों एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती है।

- |  |            |
|--|------------|
| 1. शासन सचिव, आयोजना   | अध्यक्ष    |
| 2. शासन सचिव, शिक्षा या उनका प्रतिनिधि   | सदस्य      |
| 3. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य या उनका प्रतिनिधि।                          | सदस्य      |
| 4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन या उनका प्रतिनिधि                                    | सदस्य      |
| 5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग या उनका प्रतिनिधि।                             | सदस्य      |
| 6. आयुक्त, पंचायती राज विभाग या उनका प्रतिनिधि                                   | सदस्य      |
| 7. शासन सचिव, गृह विभाग या उनका प्रतिनिधि  | सदस्य      |
| 8. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास या उनका प्रतिनिधि।                             | सदस्य      |
| 9. महारजिस्ट्रार एवं जन्मणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि। | सदस्य      |
| 10. निदेशक, जन्मणना कार्य निदेशालय, राजस्थान                                     | सदस्य      |
| 11. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर   | सदस्य      |
| 12. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर   | सदस्य      |
| 13. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ॥ आई.ई.सी. ॥ विभाग।                           | सदस्य      |
| 14. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग   | सदस्य      |
| 15. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग  | सदस्य      |
| 16. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग   | सदस्य      |
| 17. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग  | सदस्य      |
| 18. निदेशक, मृदा एवं लेपन सामग्री विभाग  | सदस्य      |
| 19. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग   | सदस्य सचिव |


यह समिति स्थाई होगी एवं स्थाई समिति का कार्य निम्न प्रकार से होगा :-

1. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम की क्रियान्विति की समय-समय पर समीक्षा करना।
2. सम्बन्धित विभागों में प्रभावी समन्वय स्थापित करना, ध्यान में आने वाली कठिनाईयों तथा असंगतियों को दूर करते हुए उपाय सुझाना।




- 3. समय-समय पर शासन को अपनी सिफारिशों से अवगत कराना ।
- 4. जन्म मृत्यु के कार्य की देखरेख हेतु एक वर्ष में कम से कम दो बार समिति की बैठक करवाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करना । इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना ग़्रुप-18 विभाग होगा ।

आज्ञा से,

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आक्रयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. प्रमुख सचिव, महामन्त्रिम राज्यपाल महोदया/सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव ।
- 3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन सचिव ।
- 4. समस्त सदस्य/समस्त सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ।
- 5. निजी सचिव, समस्त मंत्रिमण ।
- 6. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन/मंत्रिमण्डल ।
- 7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।
- 8. उप शासन सचिव, आयोजना ग़्रुप-18 विभाग को उनकी अशा0टीप संख्या प्र.158/सां./2005 दिनांक 30.8.2005 के सन्दर्भ में आज्ञा की अतिरिक्त प्रतियाँ समस्त सम्बन्धित को वितरण हेतु प्रेषित है ।

  
अनुभागाधिकारी

नोट :- इस समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार कृपया सार्वजनिक विभाग से ही करें ।

नरेन/